न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 02/2018

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2018/00084

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1 रिड़मलराम पुत्र श्री कोहलाराम जाति–बिश्नोई, साकिन–करावड़ी तहसील–सांचोर, जिला–जालोर		मालाराम फौत के कायम मुकाम 1 जसी देवी पत्नी मालाराम 3 रसालकंवर बैवा हरीसिंहजी, राजपुत 4 कानसिंह पुत्र तेजसिंहजी, राजपुत 5 कसुम्बीदेवी धर्मपत्नी चूनारामजी, जाति–लौहार 6 कालाराम पुत्र मेघराज, रेबारी, साकिनान्–पांचला, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर 8 सरपंच ग्राम पंचायत पांचला तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 30.07.2018

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई व जयप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 7 एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 28.03.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट का पुश्तैनी खातेदारी का पुराना खेत खसरा संख्या 65, 444, 432, 486 इत्यादि आए हुए है जो अपीलाण्ट के पुश्तैनी खातेदारी के खेत है। लाखाजी के उतराधिकारी में तीन पुत्र है। लाखा के फौत होने पर कोहला, सुखाराम व सोना के नाम उतराधिकारी का नामान्तरकरण भरा गया एवं कोहला के फौत होने पर अपीलाण्ट के नाम नामान्तरकरण भरा गया। सोना व सुखराम ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को खसरा नंबर पुराना 432 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 327 रकबा 2.76 हैक्टेयर में से सोना व सुखराम ने अपना हिस्सा 2/3 हिस्सा अर्थात् 11 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट को बेचान किया गया। अपीलाण्ट ने अपना हिस्से को कोई बैचान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को कभी नहीं किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 चालाक व होशियार होने से पटवारी से कर सोना व सुखराम द्वारा खसरा संख्या 432 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 327 रकबा 2.76 हैक्टेयर में नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 28.11.1970 को स्वीकृत करवाते समय नामान्तरकरण के पैरा संख्या 14 में सोना व सुखराम द्वारा अपना हिस्सा बैचान करने का उल्लेख होने के बावजूद अपीलाण्ट के हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी का नामान्तरकरण भी पटवारी व ग्राम सरपंच ने मिलावट कर अपने नाम कर लिया जो कानून की दृष्टि में ऐसा आदेश अधिकारिता विहित होने से एक इनिशियों वोईड है। ग्राम पंचायत का यह कानूनी दायित्व था कि बैचान दस्तावेज की सही जांच कर बैचान दस्तावेज के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करते, परन्तु ग्राम पंचायत ने आंख मुंदकर कानून से परे जाकर स्वीकृत किय है जिस कारण अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण भरते समय व स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट हाजिर नहीं था एवं इस नामान्तरकरण की जानकारी कभी भी अपीलाण्ट को नहीं दी गई। आज से 1 माह पूर्व अपीलाण्ट पटवारी के पास अपने खातेदारी की जमीन की जमाबंदी लेने गया तब पटवारी ने बताया कि नये खसरा संख्या 327 रकबा 2.76 हैक्टेयर में आपका नाम नहीं है तब मैं हका धका रहा गय एवं तहसील में वकील से संपर्क किया एवं नकल दिनांक 04.07.2018 को ली तब पता चला कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने तत्कालीन पटवरी, सरपंच से मिलावट कर म्यूटैशन संख्या 60 स्वीकृत करा दिया एवं मेरी खातेदारी में मेरा नाम विधि विरूद्व ढंग से हटा दिया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्यूटैशन संख्या 60 दिनांक 28.11.1970 ग्राम करावड़ी को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

उक्त अपील बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, रेस्पोडेण्ट्स बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 चालाक व होशियार होने से पटवारी से कर सोना व सुखराम द्वारा पुरारा खसरा संख्या 432 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 327 रकबा 2.76 हैक्टेयर में नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 28.11.1970 को स्वीकृत करवाते समय नामान्तरकरण के पैरा संख्या 14 में सोना व सुखराम द्वारा अपना हिस्सा बैचान करने का उल्लेख होने के बावजूद अपीलाण्ट के हिस्से की खातेदारी का नामान्तरकरण भी पटवारी व ग्राम सरपंच ने मिलावट कर अपने नाम कर लिया जो कानून की दृष्टि में ऐसा आदेश अधिकारिता विहित होने से एक इनिशियों वोईड है।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भा[illegible] व अवलोकन किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा खसरा [illegible] 432 रकबा [illegible] 01 [illegible] जिसके नवीन खसरा संख्या 327 रकबा 2.76 हैक्टेयर [illegible] है बावजूद इसके अपीलाण्ट के हिस्से की खातेदारी का नामान्तरकरण भी अपने [illegible] खुलवा लिया गया, जबकि नामान्तरकरण संख्या 60 में अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से का बैचान का जिक्र नहीं किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतीत होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 60 स्वीकृत किये जाने से अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाती है अपीलाण्ट उक्त वादग्रस्त भूमि बैचानकर्ता साबित नहीं होने से नामान्तरकरण संख्या 60 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उक्त नामान्तरकरण की संपूर्ण तथ्यों पर जांच कर बाद जांच स्वीकृत करावें। पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांचौर

निर्णय आज दिनांक **28.03.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner